न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 1/2018 (आवन्टन निरस्तीकरण)

1. कालूलाल आत्मज रामचन्द्र जाति धाकड
2. बद्रीलाल आत्मज रामचन्द्र जाति धाकड
3. शम्भूलाल आत्मज धन्नालाल जाति धाकड
4. शिवनारायण आत्मज धन्नालाल जाति धाकड
5. नन्दलाल आत्मज देवलाल जाति धाकड
6. रमेशचन्द आत्मज देवलाल जाति धाकड

निवासीगण उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. जानकीलाल आत्मज नारायण जाति चमार
2. रामकरण आत्मज नारायण जाति चमार
3. डाली बाई पुत्री नारायण जाति चमार
4. शांति बाई पत्नि नारायण जाति चमार निवासीगण उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन निरस्त किये जाने आवंटन दिनांक 9.2.76, भू–आवंटन संलाहकार समिति उन्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा अन्तर्गत नियम 1970 के नियम 14(4) राजस्थान अलोटमेंट रूल्स

उपस्थिति

1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री घनश्याम नागर, अथभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक –26/02/2020

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पिता व पति श्री नारायण आत्मज नानूराम को भू–आवंटन कमेटी तहसील रामगंजमण्डी द्वारा ग्राम उन्डवा की भूमि खसरा नम्बर 1283 की 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 9.2.1976 को किया गया था ।
2. उक्त आवंटन को निरस्त कराने बाबत यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.1.2018 को प्रार्थीगण द्वारा पेश कर कथन किया है कि ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में पुराना खसरा नम्बर 1283 की 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 9.2.1976 को प्रतिपक्षीगण के पिता व पति श्री नारायण आत्मज नानूराम को गलत एवं अवैधानिक तरीके से किया गया है नारायण

Scanned by CamScanner

आत्मज नानूराम ने खसरा नम्बर 1282 की भूमि को आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया था किन्तु उक्त भूमि काबिल काश्त नहीं होने व खलियान होने से उक्त भूमि आवंटन नहीं की गयी और बिना किसी प्रकार की मौके की रिपोर्ट तलब किये उक्त खसरा नम्बर 1282 के पास की भूमि खसरा नम्बर 1283 की भूमि आवंटन कर दी गयी ओर कागजों में दिनांक 20.3.1976 को दखल देना अंकित कर दिया और नामान्तकरण सं0 391 से नारायण के गेर खातेदारी में दर्ज कर दी । सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 1626 की 0.18 हे0 , खसरा नम्बर 1639 की 0.01 हे0, व खसरा नम्बर 1640 की 0.88 हे0 कुल तीन किता की 1.07 हे0 आराजी कायम किये । उक्त आवंटन दिनांक 9.2.76 राजस्थान अलोटमेंट रूल्स के पूर्णतया विपरीत है क्योंकि प्रतिपक्षीगण के पिता व पति का व प्रतिपक्षीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा जबकि उक्त आवंटनशुदा आराजी पर प्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के समय ही 40 वर्षो से तनहा कब्जा चला आ रहा है । वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है । उक्त अलोटमेंट में अलोटमेंट समिति के पूरे कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है । मौके पर कब्जे की रिपोर्ट तलब नहीं की गयी है इसलिए भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त आवंटन करते समय राजस्थान आवंटन रूल्स की पालना नहीं की गयी है तथा ओक्यूपाइड लैण्ड का अलोटमेंट किया गया है जो सर्वथा अवैधनिक है व निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है इस बात की जानकारी प्रतिपक्षीगण को पूर्णरूप से है और आज दिनांक तक बेदखल नहीं किया गया है और नारायण अथवा प्रतिपक्षीगण ने कभी भी एक वर्ष भी काश्त नहीं किया । उक्त भूमि राजस्थान रिकार्ड में प्रतिपक्षीगण के नाम दर्ज होने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाते हुये तथा कब्जा नहीं होते हुये व उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का मान कर प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 ने प्रार्थीगण के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही धारा 183–बी आर.टी.एक्ट के तहत तहसीलदार रामगंजमण्डी के समक्ष प्रस्तुत कर दी है जिसकी सूचना पेशी दिनांक 17.7.2017 को मिलने पर हुई व कार्यवाही विचाराधीन है । उक्त कार्यवाही के दौरान प्रतिपक्षीगण नं0 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी दिनांक 1.1.2018 को दी इस पर आवंटन आदेश की जानकारी कर दिनांक 4.1.2018 को नकल का आवेदन पेश कर दिनांक 12.1.2018 को नकल प्राप्त हुई । इस प्रकार आवंटन आदेश दिनांक 9.2.1976 से दिनांक 12.1.2018 तक के दिन मुजरा करने पर प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 9.2.1976 को ग्राम उन्डवा तहसील रामगंजमण्डी बाबत आवंटन पुराना ख0नं0 1283 की 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें तथा विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा 40 वर्षो से अधिक समय से होने के कारण उक्त भूमि प्रार्थीगण को नियमन किये जाने की सिफारिश किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान वकील श्री घनश्याम नागर उपस्थित । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि कि ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में पुराना खसरा नम्बर 1283 की 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 9.2.1976 को

Scanned by CamScanner

प्रतिपक्षीगण के पिता व पति श्री नारायण आत्मज नानूराम को गलत एवं अवैधानिक तरीके से किया गया है नारायण आत्मज नानूराम ने खसरा नम्बर 1282 की भूमि को आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया था किन्तु उक्त भूमि काबिल काश्त नहीं होने व खलियान होने से उक्त भूमि आवंटन नहीं की गयी और बिना किसी प्रकार की मौके की रिपोर्ट तलब किये उक्त खसरा नम्बर 1282 के पास की भूमि खसरा नम्बर 1283 की भूमि आवंटन करदी गयी ओर कागजों में दिनांक 20.3.1976 को दखल देना अंकित कर दिया और नामान्तकरण सं0 391 से नारायण के गेर खातेदारी में दर्ज कर दी । सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 1626 की 0.18 हे0 , खसरा नम्बर 1639 की 0.01 हे0, व खसरा नम्बर 1640 की 0.88 हे0 कुल तीन किता की 1.07 हे0 आराजी कायम किये । उक्त आवंटन दिनांक 9.2.76 राजस्थान अलोटमेंट रूल्स के पूर्णतया विपरीत है क्योंकि प्रतिपक्षीगण के पिता व पति का व प्रतिपक्षीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा जबकि उक्त आवंटनशुदा आराजी पर प्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के समय ही 40 वर्षो से तनहा कब्जा चला आ रहा है । वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है । उक्त अलोटमेंट में अलोटमेंट समिति के पूरे कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है ।

5. वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब एवं बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता नारायण आत्मज नानूराम जी भूमिहीन मजदूर पेशा एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने से ग्राम उण्डवा स्थित आराजी दिनांक 9.2.1976 को आवंटन की गयी , बाद आवंटन दिनांक 20.3.1976 को दखल नामा प्रदान किया गया तथा इंतकाल नम्बर 191 से नारायण जी के नाम गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी, नारायण जी जब तक जिन्दा रहे आवंटनशुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे और उनके सवर्गवास के बाद अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमों की पालना पूर्ण मानते हुए गेर खातेदारी से खातदेारी दिये जाने का आदेश प्रदान किया जिस पर इंतकाल नं0 631दिनांक 24.1.2015 से खातेदारी प्रदान की गई, तत्पश्चात से अप्रार्थीगण खातेदारी प्राप्त कर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है । बाद में अप्रार्थीगण द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण ले रखा है, बैंक को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है । खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के आदेश व इंतकाल की प्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी आज दिन तक सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात आवंटन रूल्स के अन्तर्गत आवंटन खारिज किये जाने के प्रावधान नहीं है । इस कारण प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थीगण जनरल कास्ट के व्यक्ति है जिनको अप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । प्रार्थीगण प्रभावशी व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है जिनके द्वारा कब्जा काश्त में वर्ष 2017 में परेशान करने पर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.5.2017 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कोटा में परिवाद प्रस्तुत किया, साथ ही तहसीलदार रामगंजमण्डी के समक्ष अन्तर्गत धारा 183–बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा प्रार्थीगण का अवैध कब्जा होना मानकर बेदखल करने का दिनांक 8.5.2018 को आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को मौके पर कब्जा संभलाया गया । अप्रार्थीगण ही नियमितरूप से लगान आदि जमा करवाते चले आ रहे है व निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है

Scanned by CamScanner

। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन मनगढंत होने से सव्यय निरस्त किया जावें । वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

(1) DNJ(Rev) 2017 Page 194 (2) DNJ (Rev) 2017 Page 145
(2) RRD 1988 Page 651 (4) RBJ 1995 Page 780

6. हमने वकील उभपक्ष की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पिता व पति श्री नारायण आत्मज नानूराम को भू–आवंटन कमेटी तहसील रामगंजमण्डी द्वारा ग्राम उन्डवा की भूमि खसरा नम्बर 1283 की 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का दिनांक 9.2.1976 को किया गया आवंटन को निरस्त कराने बाबत अन्तर्गत नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत पेश किया है । वकील अपीलांट का तर्क की उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा उक्त आवंटित भूमि पर गत 40 वर्षो से निरन्तर कब्जा होने से आवंटन पर प्रश्न उठाते हुए आवंटन को अवैध मानकर निरस्त कराना चाहते हैं । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं न्यायिक दृष्टान्तों से हम सहमत है कि जब अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि आवंटन की जा चुकी है, गैर खातेदारी का नामान्तकरण खोला जाकर खातेदारी के पात्रता होने से गेर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है, ऐसी स्थिति में 9.2.1976 के आवंटन को निरस्त कराने बाबत प्रार्थना पत्र लगभग 33 वर्ष बाद पेश करना, नियमान्तर्गत नहीं है, तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आवंटित भूमि पर अपने कब्जे को आधार मानकर आवंटन निरस्त हेतु पेश करना की नियमान्तर्गत नहीं है तथा अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को 33 वर्ष बाद गलत ठहराना उचित नहीं मानते है । इस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होकर खारिज योग्य है ।

7. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । ग्राम उन्डवा की भूमि खसरा नम्बर 1283 की 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन दिनांक 9.2.1976 को यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner